न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील संख्या– अपील डिक्री/टीए/8572/2006/सवाईमाधोपुर

रामप्रसाद पुत्र गोरया जाति बैरवा निवासी ग्राम दौलतपुरा तहत तहसील खण्डार जिला सवाईमाधोपुर।

–अपीलांट

बनाम

1– धन्नालाल पुत्र मांगीलाल।

2– रामप्रसाद पुत्र मांगीलाल।

3– मु0 गोपाली बैवा मांगीलाल।

समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम दौलतपुरा तहत तहसील खण्डार जिला सवाईमाधोपुर।

4– राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार खण्डार जिला सवाईमाधोपुर।

–रेस्पोडेन्टस

खण्डपीठ

श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

श्री भंवर सिंह सांदू, सदस्य

उपस्थितः–

श्री अमृतपाल सिंह वानर, अधिवक्ता अपीलांट।

श्री सोहनपाल सिंह चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0।

निर्णय

दिनांकः– 06.01.2023

अपीलांट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा

अपील संख्या 13/2003 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.11.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2— अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो. के पिता एवं पति मांगीलाल वादी ने प्रतिवादी अपीलांट एवं राज्य सरकार के विरूद्ध एक वाद अंतर्गत धारा 53 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत सहायक कलक्टर, सवाईमाधोपुर के यहां ग्राम दौलतपुरा तहसील खण्डार में स्थित आराजी खसरा नंबर 0278 रकबा 8 बीघा के बाबत् इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी का वादी एवं प्रतिवादी 1/2, 1/2 हिस्से के सहकाश्तकार होकर मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। सहायक कलक्टर ने वाद का दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी संख्या 1 को वाद का नोटिस जारी किया गया, जिस पर प्रतिवादी ने उपस्थित होकर जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया। सहायक कलक्टर, सवाईमाधोपुन ने अभिकथनों के आधार पर कुल 8 तनकियात कायम करते हुए अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 24.10.2022 के द्वारा वादी का वाद खारीज करते हुए आराजी खसरा नंबर 278 रकबा 8 बीघा का खातेदार काश्तकार अपीलांट को घोषित किया जाकर रेस्पो0 को अपीलांट के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करने के लिए पाबंद कर दिया। परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध रेस्पो0 ने एक अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 29.11.2006 द्वारा रेस्पो. की अपील की स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24.10.2002 को निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय दिनांक 29.11.2006 से व्यथित होकर अपीलांट यह अपील मण्डल के समक्ष पेश की है।

3— हमनें उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4— अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अपीलीय न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित स्वंय विवेकीय निर्णय में हस्तक्षेप कर उसे निरस्त करने में अपने अधिकारिता से परे जाकर निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत् नहीं होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलीय न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत किए गए वाद पत्र में अपने पिता का नाम उसने श्योराम बताया है एवं प्रतिवादी के

पिता का नाम गौरया बताया है इससे स्पष्ट है कि वादी एवं प्रतिवादी आपस में सगे भाई नहीं है और ना ही एक परिवार के सदस्य है तथा एक–दूसरे के दूर–दूर तक कोई रिश्ता संबंध नहीं है। इससे स्पष्ट है कि वादी विवादित आराजी का सहखातेदार काश्तकार नहीं है। इस कारण परीक्षण न्यायालय ने तथ्यों का सही रूप से विवेचन कर एवं साक्ष्य का विश्लेषण कर वादी का वाद निरस्त किया था। अपीलीय न्यायालय ने इस बात को नजरअंदाज किया कि वाद का प्रतिवादी ने जवाब दावा में काउण्टर क्लेम पेश किया था एवं परीक्षण न्यायालय ने वादी का वाद खारीज करते हुए प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम डिक्री किया था इस कारण वादी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध दो अपीले प्रस्तुत करनी चाहिए थी किन्तु उसने उक्त निर्णय के विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत की थी जो कि संधारण योग्य नहीं होने से खारीज किए जाने योग्य थी। किन्तु उन्होंने उसकी अपील को स्वीकार करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। अपीलीय न्यायालय ने इस बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि विवादित आराजी का अपीलांट खातेदार काश्तकार होकर मौके पर काबिज चला आ रहा है जो पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य जमाबंदी संवत् 2009 से 2012, 2013 से 2016 एवं 2017 से 2020 से स्पष्ट है जिसमें अपीलांट के पिता गोरया के नाम विवादित भूमि खातेदारी में दर्ज है रेस्पो0 का भूमि से कोई लेना देना नहीं है और ना ही वह आराजी का कभी सहखातेदार रहा है बल्कि विभाजन का वाद सहखातेदार ला सकता है। जिसके अभाव में उसका वाद अधीनस्थ न्यायालय ने सही रूप से खारिज किया था किन्तु अपीलीय न्यायालय ने रेस्पो0 का वाद डिक्री करने में त्रुटि कारित की है। रेस्पो. विवादित आराजी का कभी सहखातेदार नहीं रहा एवं ना ही उसका 1/2 हिस्से पर कभी कब्जा रहा एवं ना ही वह अपीलांट के परिवार का सदस्य है और ना ही दौलतपुरा का निवासी है। अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों एवं कानूनी नजीरों का विवेचन नहीं कर सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया है जो कि आदेश 41 नियम 31 जा0दी0 के प्रावधानों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 29.11.2006 को निरस्त किया जावें तथा सहायक कलक्टर, सवाईमाधोपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 24.10.2002 को यथावत् रखा जावें।

5— इसके विपरीत रेस्पोडेंटस के योग्य अधिवक्तागण ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है। विवादित भूमि खसरा नंबर 278 रकबा 8 बीघा में 1/2 हिस्से के वादी/अपीलांट खातेदार काश्तकार है। सहमती के आधार पर अपीलांट पश्चिम दिशा की तरफ 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त है और हमारे पूर्वजों के समय से यह आराजी हमारे कब्जा काश्त में चली आ रही है। हमने अपने पक्ष में नामांतकरण संख्या 198 दिनांक 19.05.1964 को पेश किया जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा हमें प्राप्त हुआ है। इसके अलावा राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी संवत् 2046—49 में अपीलांट 1/2 हिस्से पर खातेदार दर्ज है। नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2046—49 में हमारी 1/2 हिस्से पर काश्त दर्ज है। इसके अलावा मौखिक साक्ष्य से भी स्पष्ट है कि आराजी में 1/2 हिस्से पर हमारा पूर्वजों के समय से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है । राज0काश्त0अधि0 1955 के प्रावधानों के अनुसार हमारा कब्जा निर्बाध रूप से चलते रहने से हम प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदार हो जाते है । अपीलांट द्वारा नामांतकरण संख्या 198 को विधि विरूद्ध होने का कथन किया गया है किन्तु उक्त नामांतकरण को निरस्त कराने बाबत् आज दिवस तक कोई चाराजोही उनके द्वारा सक्षम स्तर पर नहीं की गई है । खातेदार काश्तकार अपने हिस्से की आराजी का बंटवारा कराने का अधिकारी है । उपरोक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखकर अपीलीय न्यायालय ने अपील स्वीकार कर वाद डिक्री किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे । विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2022 (1) डीएनजे (रेवेन्यू) पेज 459 के न्यायिक दृष्टांत पेश किए।

6— हमनें उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकॉर्ड का अध्ययन एवं परिशीलन किया ।

7— पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवेजी साक्ष्य नकल जमाबंदी संवत् 2046 से 2049 प्रदर्श—1 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 278 रकबा 8 बीघा मांगीलाल पुत्र श्योराम हिस्सा 1/2, रामप्रसाद पुत्र गौरिया हिस्सा 1/2 कौम बैरवा साकिन देह खातेदार अंकित है । प्रदर्श—2 नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2046—49 के अनसुार मांगीलाल पुत्र श्योराम हिस्सा 1/2, रामप्रसाद पुत्र गोरिया हिस्सा 1/2 कौम बैरवा साकिन देह खातेदार अंकित है । प्रदर्श—3

नकल नामांतकरण संख्या 108 दिनांक 20.06.1964 के अनुसार खसरा नंबर 278 रकबा 8 बीघा का नामांतकरण मांग्या पुत्र श्योराम कौम चमार साकिन देह हिस्सा 1/2 बदस्तूर गोरिया पुत्र प्रथया चमार साकिन देह हिस्सा 1/2 बदस्तूर अंकित है । विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 में जो विवेचन किया गया है उसके अनुसार जमाबंदी संवत् 2009 से 2012, संवत् 2013 से 2016, संवत् 2017 से 2020 में गोरिया पुत्र बिरदया चमार के अंकन बताये गये है । मौखिक साक्ष्य में पी0डब्ल्यू0 2 रघुनाथ पिता लक्ष्मण ने अपने बयानों में कथन किया है कि इस जमीन को मांगीलाल, रामप्रसाद जोतते है, मांगीलाल पश्चिम की दिशा का 1/2 भाग तथा पूर्व की तरफ का भाग रामप्रसाद जोतता है । मैं अपनी उम्र से दोनों इसी प्रकार काश्त करते देखता आया हूं । जिरह में कथन किया है कि यह जमीन मांगीलाल, रामप्रसाद के दादा की है। उपरोक्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन करने के पश्चात् यह स्थिति स्पष्ट होती है वादग्रस्त आराजी पूर्व में अपीलांट के पिता गोरिया जाति बैरवा के नाम दर्ज थी और गोरिया की स्वंय की सहमति से नामांतकरण संख्या 108 दिनांक 20.08.1964 को मांगीलाल के पक्ष में तस्दीक करवाया था। सन् 1964 के पश्चात् से ही रेस्पोडेंट मांगीलाल का वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त चलता आया है जिसकी पुष्टि राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी संवत् 2046–49 एवं खसरा गिरदावरी संवत् 2046–49 से होती है। अपीलांट यदि नामांतकरण संख्या 108 से व्यथित था तो उनके द्वारा सन् 1964 में जब रेस्पो0 के पिता मांगीलाल के पक्ष में नामांतकरण संख्या 108 हिस्सा 1/2 बाबत् तस्दीक हो गया था तो अपीलांट द्वारा इतने लंबे समय तक उक्त नामांतकरण को निरस्त कराने की कोई कार्यवाही नहीं की गई । इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट इस नामांतरकण संख्या 108 तथा राजस्व रिकार्ड में अंकित प्रविष्टियों से सहमत थे । विचारण न्यायालय के समक्ष जो मौखिक साक्ष्य पेश की गई है उससे यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी में 1/2, 1/2 हिस्से पर वादी एवं प्रतिवादी पुराने समय से ही काबिज होकर काश्त करते आ रहे है । ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर आराजी खसरा ंनबर 278 रकबा 8 बीघा ग्राम दौलतपुरा में 1/2 हिस्सा पश्चिम की तरफ का वादी को राजस्व रिकार्ड में पृथक से खातेदार दर्ज करने का जो निर्णय पारित किया है वह पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के क्रम में विधिसम्मत् प्रतीत हाता है । अपीलांट का बहस के दौरान यह कथन कि दो

अपील होनी चाहिये थी । हम रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत नजीर 2022 (1) डी0एन0जे0 (रेवेन्यू) पेज 459 के प्रकाश में समुचित नहीं पाते है, जिसमें यह मत प्रतिपादित किया गया है कि '' When the Trial court passed one judgment and decree, two appeals were not necessary '' फलतः द्वितीय अपील के स्तर पर अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में हमें कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

9— उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.11.2006 की पुष्टि की जाती है ।

10— पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर हो।

11— निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भंवरसिंह सान्दू)
सदस्य

(रामदयाल मीणा)
सदस्य